MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: In the market, the indigenous urea production is not that' attractive among the agrarian sector farmers, moreover they want to have imported urea because of better quality. Is the Minister expected to assess the quality of urea being produced in India so as to have our indigenous capacities enhanced technically?

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, in the last one year, because of the new urea policy we have increased the production by 19 lakh metric tons without adding a single *naya paisa* of investment and putting a new plan. This year, as the hon. Member has rightly said, India has the highest ever urea production in the last 68 years, which is 244 lakh metric tons. Actually, the requirement of urea is slowly increasing. When we took over, it was around 307 lakh metric tons. Now it is hovering around 320 lakh metric tonnes and because of better monsoon there will be a spurt. With regard to import of Urea, out of 70 or 80 lakh metric tons that we import, 20 lakh metric tons is from Oman where we have an agreement with OMASCO. And, we have an off-take agreement for twenty years. Therefore, whatever is produced at an affordable cost will come to India. So, if you remove the import component of 20 lakh metric tons, which is done through our reverse SEZ there, I think, India's requirement or dependence on import will decrease. And, once we become self-reliant through indigenous production, we need not import Urea. Our production is the world-class production. I want to assure, through you, our farming community, because they should not have any confusion, that our Urea or Urea produced indigenously by our public sector undertakings and private companies is of global quality and is at par with other countries of the world.

Policy to increase prices of urea by a fixed percentage

*139. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government plans to increase prices of urea by a fixed percentage every year, if so, the details thereof and the timeline for its implementation;

(b) whether Government plans to introduce Direct Benefit Transfer for fertilizer subsidy to small, marginal and medium farmers in some States, if so, the details thereof, State-wise; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI ANANTH-KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. There is no such proposal.

(b) and (c) As per Government of India decision, Department of Fertilizers (DoF) will be conducting a pilot in 8 districts in the coming Rabi Season (2016-17) and another 8 Districts in Kharif Season (2017-18) to capture Authenticated Retailer Sales and Buyer's Details as a precursor to DBT in fertilizer sector. The pilot will capture retailers, sellers and buyer details. The identified 8 districts for the Pilot DBT in Rabi season are as below:

Sl. No.	State	District
1.	Bihar	Kishanganj
2.	West Bengal	Maldah
3.	Madhya Pradesh	Hoshangabad
4.	Haryana	Karnal
5.	Haryana	Kurukshetra
6.	Andhra Pradesh	Krishna
7.	Andhra Pradesh	West Godavari
8.	Maharashtra	Nasik

The feasibility of DBT in fertilizer would be ascertained only after analyzing the result of the pilot. Once the pilot is completed by September, 2017, the department will evaluate technical and operational challenges and issues.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि उन्होंने ठीक कहा कि हम prices नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप हर जगह direct benefit transfer कर रहे हैं, चाहे वह गैस सब्सिडी है, चाहे मनरेगा है, चाहे पेंशन है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या बात है कि आप farmers को दी जाने वाली subsidies के लिए direct benefit transfer करने से hesitate कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका क्या reason है?

श्री अनंत कुमारः सर, माननीया सदस्या ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम कोई हिचकिचा नहीं रहे हैं, भारत सरकार direct benefit transfer करना चाहती है। इसके लिए हमने इस बजट में ऐलान भी किया है। इस बजट में इसके ऐलान के बाद हमने इसका pilot project शुरू किया है, लेकिन इसमें कई challenges हैं। Sir, there are many challenges. इसमें एक challenge यह है कि पंजाब का किसान एक एकड़ के लिए कितनी यूरिया खपत करेगा, उत्तर प्रदेश का किसान कितनी खपत करेगा, ओडिशा का किसान कितनी खपत करेगा, तमिलनाडु और कर्णाटक का किसान कितनी खपत करेगा,

इसमें बहुत अंतर है। दूसरा, यदि हम DBT करना चाहें, तो जो हमारी 16 करोड़ farm holdings हैं, उनमें मालिक कौन हैं और बटाईदार कौन हैं, हमें इसका भी पूरा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तीसरा, हर एक फर्टिलाइजर फैक्टरी का उत्पादन खर्च भी अलग-अलग है, यानी उनका expenditure भी अलग-अलग है। ये सारे challenge हमारे सामने हैं। इसलिए हम 16 डिस्ट्रिक्ट्स में pilot project चलाना चाहते हैं। उस pilot project के नतीजे से हमें जो दिशा मिलेगी, उस दिशा से हम इसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने LPG और बाकी चीजों का DBT किया, उतनी आसानी से हम फर्टिलाइजर के लिए DBT नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान हैं, उनके लिए आज के जो subsidized दाम हैं, यानी यूरिया के लिए हमने 5,360 रुपए MRP को lock कर दिया है, बाकी जो DAP, MOP and NPK fertilizers हैं, उनके लिए हम NPK ratio में प्रति टन 8 हजार से 9 हजार तक सब्सिडी देते हैं, यदि हम उसे टोटल कॉस्ट में मिला देंगे, तो वह बहुत बड़ी रकम हो जाएगी और किसान को भारी पड़ेगी। इसलिए इस सब्सिडी को continue करते हुए इस DBT को आसान करने और किसान को कोई त्रासदी न हो, इसके बारे में हम इस साल और अगले साल pilot project चलाएंगे। उस pilot project के नतीजों की दिशा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, इन्होंने काफी लंबा जवाब दिया है और उन्होंने यह कहा कि हम 8 pilot projects ले रहे हैं, 8 ही खरीफ के और 8 ही रबी के। मैं यह जानना चाहती हूं कि इन्होंने ये जिले किस आधार पर चुने हैं और फर्टिलाइजर की सब्सिडी देने के लिए agriculture में किसान के पास कितनी हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए? दूसरा, इन्होंने कहा है कि वैसा किसान, जो किसी की फसल बोता है, इसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूं कि उसको भी benefit देने के लिए इन्होंने जमीन का क्या पैमाना रखा है, agricultural land का क्या पैमाना रखा है?

श्री अनंत कुमारः देखिए, हम पायलट प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं। पहली किश्त में बिहार के किशनगंज जिले को, पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले को, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले को, हरियाणा के करनाल जिले को ...**(व्यवधान)**... इन सब जिलों को चुना गया है। हमने कृषि मंत्रालय के साथ मंत्रणा करके देश के विभिन्न प्रदेशों के जिलों को लिया है। इसमें भी अभी हम marginal farmers के बीच इस पायलेट को चलाने वाले हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर, दो हेक्टेयर या अढ़ाई हेक्टेयर जमीन होगी। ऐसे किसानों का पूरा ब्योरा लेकर अभी हम इसको चलाने वाले हैं।

जैसा आपने कहा, हमारे सामने इसमें बहुत सारे challenges हैं। किसी के पास land holding है, कोई केवल मात्र बटाईदार है और किसी के पास land holding नहीं है। ऐसे सभी लोगों को लेकर हमें इसको चलाना पड़ता है, लेकिन यह एक प्रयास है। जब हम इस पायलेट को चलाएंगे, तभी हम इस विषय के संबंध में आगे बढ़ पाएंगे।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, मेरा जवाब नहीं आया है। मैंने इनसे पूछा है कि जो जिले चुने गए, उसका क्या क्राइटीरिया है? इसमें पंजाब को क्यों नहीं चुना गया, दूसरे क्षेत्रों को क्यों नहीं चुना गया? ...**(व्यवधान)**... हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट क्यों चुने गए? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please don't start an argument now.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, इन्होंने जवाब नहीं दिया।

श्री सभापतिः अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो आप लिख कर दे दीजिए कि इन्होंने जवाब नहीं दिया है।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः ये क्यों जवाब नहीं देंगे? जब ये यहां मंत्री हैं, तो ये जवाब क्यों नहीं देंगे?

MR. CHAIRMAN: There are others also who want to ask questions.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः ठीक है, हमारा जवाब नहीं आया है।

श्री अनंत कुमारः सर, मैंने बताया है कि कृषि मंत्रालय से मंत्रणा के बाद ही हमने इन जिलों को चुना है। अभी आगे हम पंजाब को भी लेने वाले हैं, हम किसी प्रदेश को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रारम्भ के लिए सोच ऐसी रही कि हम इसमें 16 जिलों को ही लें। यह बात तो आप ही जानते हैं कि जब पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं, तो 200 जिलों को नहीं लेते, 10-15 जिलों को ही लेते हैं।

SHRI K.K. RAGESH: Sir, after the introduction of Nutrient Based Subsidy Scheme and the policy to decontrol fertilizers, prices of fertilizer, particularly certain fertilizers, increased by manifold. In fact, it has resulted into excessive use of certain fertilizers like Urea which the hon. Minister himself was saying that the demand for Urea has increased by manifold. Sir, excessive use of fertilizers led to the destruction of soil health. It means, NBS Scheme affected the soil health. Considering these aspects, will the Government reconsider the NBS Scheme and also revert the policy of decontrol of fertilizers?

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, there are two parts — Urea is controlled, MRP is controlled and there is full subsidy. On non-Urea fertilizers, it is partially controlled. We cannot say that it is totally decontrolled, because we also give NBS to non-Urea fertilizers like DAP, MOP and NPK. In that, we look at the reasonableness of MRP. Therefore, this time reduction has taken place. I agree with the hon. Member that there is a need to think afresh about the effectiveness of the NBS and non-Urea fertilizers.

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः सर, वैसे तो मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा-बहुत मिल गया है, मगर फिर भी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपकी जो Direct Benefit Transfer की योजना है, उसके लिए सरकार ने क्या-क्या तैयारियां की हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने अभी खरीफ में कुल आठ डिस्ट्रिक्ट्स को तय किया है। इन आठ डिस्ट्रिक्ट्स में हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे कि किसानों को कैसे हम डायरेक्ट बेनेफिट दे सकते हैं! उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होती है, क्योंकि किसानों में भी किसी के पास लैंड होल्डिंग कम है, किसी के पास ज्यादा है, यह देखना होगा और वहां स्थानीय तकनीकी की भी तैयारी करनी होगी। वहां का सारा डेटा बेस करना

होगा, डेटा बेस के लिए ऊपर से नीचे तक कंप्युटराइज्ड लिंकेज करना होगा, सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और ब्लॉक से विलेज तक सारा डेटा एनालिसिस करना होगा। यह सभी तैयारियां, जैसा सरकार ने जवाब दिया कि अभी हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां के लिए कर ली हैं।

श्री अमर शंकर साबलेः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार यूरिया की प्रति बैग पर कितनी सब्सिडी देती है?

श्री मनसुख एल. मांडवियाः सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि सरकार प्रति बैग यूरिया पर कितनी सब्सिडी देती है, तो सरकार ने जो प्रति बैग सब्सिडी देने का तय किया है, उसमें यूरिया में हम एक मीट्रिक टन पर 6000/- रुपए सब्सिडी देते हैं।

श्री सभापतिः क्वेश्चन नंबर 140.

डा. चन्द्रपाल सिंह यादवः सभापति जी, एक मिनट।

MR. CHAIRMAN: I am sorry. I have allowed three supplementaries. अब नहीं हो सकता। ...**(व्यवधान)**... आप उनसे अलग से पूछ लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**... नहीं, प्लीज। तीन सप्लीमेंटरीज़ हो गईं।

SHRI ANANTHKUMAR: Mr. Chairman, Sir, I want to add only one thing. ...*(Interruptions)*... The MRP of urea is fixed at ₹ 5,360/- per ton. ...*(Interruptions)*...

डा. चन्द्रपाल सिंह यादवः सर...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already called the next question. प्लीज़, आप बैठ जाइए।

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और कमरों की उपलब्धता

***140. श्री मोती लाल वोरा :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या के अनुरूप उनके बैठने के लिए आवश्यक संख्या में कमरे उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण वह भली-भांति काम नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों में क्रमशः न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या, रिक्त पदों की संख्या और उनके बैठने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) अपेक्षित संख्या में कमरों का निर्माण शीघ्र कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।